भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्त्व और प्रासंगिकता

* महादेव सिंह

किसी भी राष्ट्र की दूरगामी सोच एवं भविष्य के वैश्विक सम्बन्धों में उसकी विश्व के अन्य राष्ट्रों के प्रति दृष्टिकोण की विशिष्ट भूमिका होती है। आज के भूमण्डलीकरण के युग में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। विविध राष्ट्रों के उत्तरोत्तर बढ़ती अन्तर्निर्भरता उन्हें परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा राजनीतिक सम्बन्ध आदि सम्मिलित हैं। व्यक्तियों की भाँति राष्ट्र भी अपने हितों की अभिवृद्धि हेतु निरन्तर प्रयासरत होते हैं। राष्ट्र के इन हितों को राष्ट्रीय हित कहते हैं। विदेश नीति किसी देश के ऐसे व्यवहार को कहा जा सकता है जिससे वे अपने आन्तरिक एवम् बाह्य कार्यों को नियंत्रित करते हैं और यदि सम्भव हो तो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये एक—दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन या नियन्त्रण करते हैं।

"विदेश नीति निर्णयों और कार्यों से निर्मित है, जो एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य कुछ प्रशंसनीय सम्बन्धों को सम्मिलित करती है।"[1] (फ्रैंकल) "किसी देश का यह निर्णय कि वह किसी अन्य देश के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रखेगा" भी विदेश नीति ही है।[2] (ग्रास) "विदेश नीति उन गतिविधियों की व्यवस्था है जो समुदायों द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने एवं स्वयं की गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप ढालने के लिए विकसित की गई है।"[3] (मॉडलनकी)

"विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य—दिशा देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का यत्न करते हैं।"[4] (फैडलफोर्ड तथा लिंकन) "विदेश नीति के अन्तर्गत ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण और क्रियान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह महत्त्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्द्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है।"[5] (रॉडी)

भारत विश्व में द्वितीय विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसी कारण से इसकी विदेश नीति का प्रभाव विश्व राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक भी है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं थी। क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, लेकिन भारत की विश्व मामलों में एक सुदीर्घ परम्परा रही है।

विदेश नीति निर्माता नीति निर्धारण करने से पूर्व कुछ सार्थक उद्देश्य निश्चित करते हैं। इनमें से कुछ सभी देशों के लिए समान होते हैं। चाहे प्रत्येक देश कुछ उद्देश्यों पर अधिक बल देते हो, किन्तु भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं —

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास करना। 2. सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना। 3. अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में सन्धियों तथा समझौतों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। 4. सैनिक गुटबन्धियों और सैनिक समझौतों से अपने आपको पृथक करना तथा ऐसी गुटबन्दी को निरूत्साहित करना। 5. उपनिवेशवाद का चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, विरोध करना। 6. साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना। 7. उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित है।[6]

उपर्युक्त उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, शान्ति एवं समानता के सिद्धान्तों को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया।

इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के द्वारा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना, सैनिक गठबन्धनों से दूर रहना, गुटनिरपेक्षता के नैतिक सिद्धान्त का पालन करना, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी है। भारत ने श्रद्धापूर्वक अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और शान्तिपूर्ण सह—अस्तित्व के आदर्शों का पालन करने की नीति का निर्वाह किया है। इन सभी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की विदेश नीति के निर्माताओं ने कुछ निर्णय और कुछ सिद्धान्त स्वीकार किए।[6] अन्तर्राष्ट्रीय जगत को गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की ही देन है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अभूतपूर्व तनाव विकसित हुआ। इस तनाव और भय के कारण शीतयुद्ध का जन्म हुआ। संसार दो विरोधी गुटों में बंट गया—एक तरफ पूँजीवादी गुट का नेता अमेरिका, तो दूसरी तरफ साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ। इस गुटीय राजनीति ने शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। भारत ने शुरु से ही यह निश्चित किया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। एक स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाने का भारत का निर्णय उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही किया गया था, साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का एक और कारण था और वह यह कि भारत विश्व के देशों के साथ मित्रता के आदर्श और विश्व शक्ति के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखता था। भारत ने यह निर्णय किया कि वह अपनी क्षमता का प्रयोग देश के आर्थिक विकास के लिए करेगा।

गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होगा यथा—नाटो, सीटो, वारसा संगठन जैसे किसी सैनिक गठबन्धन में शामिल न होगा। यह ऐसी नीति है जो वैश्विक मामलों में स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतन्त्र समझती है। यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य नहीं करती है। यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पलायनवादी नीति भी

* प्राध्यापक, बा.भ.दास. राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा (शाहपुरा) जयपुर।

नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से भी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाऐं सदैव उपलब्ध रही है। कोरिया, हिन्दचीन, मिश्र, इजरायल आदि विवाद इसके उदाहरण हैं। भारतीय गुटनिरपेक्षता का अर्थ पलायनवाद भी नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ हुआ था। भारत निःसंगता में विश्वास नहीं रखता जिसका उदाहरण यह है कि भारत न केवल राष्ट्रमण्डल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। बल्कि अन्य अनेक राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीतिक एवं मेंत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं।

वस्तुतः वैकल्पिक विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी राष्ट्र का अपने आन्तरिक एवं विदेशी मामलों में स्वतन्त्र होना और इसके लिए एक सकारात्मक प्रेरक शक्ति बनाना होता है, दूसरी तरफ गुटबद्धता किसी राष्ट्र को नकारात्मक भूमिका एवं कार्यवाहियों में सीमित करने वाला तत्व होता है। गुटनिरपेक्षता के कारण ही भारत अपनी प्राकृतिक और बौद्धिक विरासत एवं व्यक्तिगत क्षमताओं का न केवल विकास कर सकता था बल्कि वह इन क्षमताओं को नव–आयाम देकर राष्ट्र को प्रेरक दिशा में गतिशील भी कर सकता था।[7] पण्डित नेहरू ने कहा था कि "किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ क्या है इसका केवल एक अर्थ है किसी एक विशेषज्ञ प्रश्न पर आप अपने विचार का परित्याग कर दे और दूसरे को खुश करने तथा सदिच्छा प्राप्त करने के लिए उसके विचारों को मान लें।"[8]

शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता –द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आये परिवर्तन के परिणामस्वरूप विश्व राजनीति में दो ही शक्तियाँ उभरकर सामने आयी जिसमें अमेंरिका एवं सोवियत संघ थे। अमेंरिका ने पूँजीवादी विचारध् ाारा को बढ़ाने, विस्तार और प्रसार करने के लिए नेतृत्व किया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा के प्रचार–प्रसार करने के लिए नेतृत्व किया, परिणामस्वरूप दोनों महाशक्तियों में शीतयुद्ध चलता रहा। इस शीतयुद्ध के दौरान अफ्रीकी–एशियाई नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपने विकास के लिए दोनों महाशक्तियों से पारस्परिक सहयोग प्राप्त करने के लिए एक नवीन नीति का सहारा लिया, यही गुटनिरपेक्षता है।

1960 के दशक के अन्त में शीतयुद्धीय गुट और उनका नेतृत्व करने वाली महाशक्तियों ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वैद्यता और अखण्डता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका की निन्दा और उसका उपहास करती प्रतीत होती थी अथवा उन पर सन्देह करती थी। चूंकि शीतयुद्धीय गुट (और एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण) 1990 तक वस्तुतः वही रहें। उनके द्विपक्षीय सम्बन्ध तनाव–शैथिल्य, जरूरतों के मुताबिक किए गए कुछ दिखावटी परिवर्तनों के बावजूद, गुट निरपेक्षता और गुट निपरेक्ष देशों के प्रति उनके दृष्टिकोण में दिखाई पड़ने वाले इस बदलाव की एक सम्भव्य व्याख्या, इस पुरानी उक्ति से हो सकती है – "यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ हो जाएँ, अथवा समर्थन करें।" यदि इस बदले हुए रूख का कुल मिलाकर यही मतलब है तो गुट निरपेक्षता की नीति के अध्येता को इस नीति की सफलता पर केवल खुश होने और पीठ ठोकने की आवश्यकता नहीं है कि यह नए और पुराने राष्ट्रों के लिए एक नई और अतिरिक्त वैकल्पिक विदेश नीति है, लेकिन दुर्भाग्यवश 1970 वाले दशक के अन्त में तथा 1980 वाले दशक के प्रारम्भ में शीतयुद्धीय गुटों द्वारा अपनाए गए इस परिवर्तित रूझान के कारण गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के भीतर एक उग्र एवं फूट डालने वाला विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद यह था कि क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को शीतयुद्धीय गुटों के मनोगत तौर पर "एक समान दूरी" रखने की आवश्यकता है। अथवा दो गुटों में से एक (समाजवादी गुट) गुट निरपेक्ष देशों का "स्वाभाविक सहयोगी" है। शीतयुद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने दोनों महाशक्तियों के बीच एक सेतु के समान कार्य किया। जब स्वतन्त्र गरीब राष्ट्रों को आशा की किरण दिखाई। यदि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जन्म नहीं होता तो शीतयुद्ध के घातक परिणाम होते।

इस प्रकार यदि गुट निरपेक्ष देश किसी महाशक्ति के शीतयुद्ध के अथवा राष्ट्रों के समुदाय पर महाशक्तियों की आपसी मेंलजोल से प्रभुता स्थापित होने के खिलाफ है और वे उनमें सिर्फ यह चाहते हैं कि विभिन्न देशों के साथ स्वतन्त्रता, संप्रभुता एवं समानता का (मात्र उपदेश देने के बजाय) उसी प्रकार का व्यवहार करें जैसा कि गुट निरपेक्ष देश करते हैं, तो उस स्थिति में आपसी दृष्टिकोण में किसी तरह के संदेह का अवसर नहीं कहा जा सकता है। भारत ने और बाद में कई अनेक देशों ने अपनी नई प्राप्त हुई राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए विदेश नीति के साधन के रूप में गुट निरपेक्षता को अपनाया है। प्रो. वी.पी. दत्त कहते हैं कि गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का तर्कसंगत सिद्धान्त बन गया था। क्योंकि इसने भारत के राष्ट्रीय हितों को अभिव द्ध किया था। एक स्वतन्त्र विदेश नीति का जन साधारण की इच्छाओं और अपेक्षाओं का प्रत्युत्तर था। इसने जनमानस में गौरव की भावना का विकास किया और देश की एकता बनाने में सहायता की। गुट निरपेक्षता की अवधारणा इतनी मूल्यवान हो गई कि जो भी देश स्वतन्त्र होते, उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरलता से गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना।[9]

भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण –

भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि वह निर्णय लेने की स्वतन्त्रता की रक्षा करना चाहता था। इसके अतिरिक्त भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों गुटों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता तथा भारत की भौगोलिक स्थिति आदि कारकों ने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। भारत ठोस नीतियों के साथ एक ऐसे मार्ग का चयन करना चाहता था जिससे उसका भविष्य तो सुरक्षित हो ही साथ ही विश्व के अन्य देशों के समक्ष वह अपनी महत्ता सिद्ध कर सके। इसके लिए गुटनिरपेक्षता के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उचित प्रतीत नहीं होता दिखा। प्रो. एम.एस. रॉजन ने भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने हेतु निम्नलिखित कारक बताए हैं–

1. दोनों गुटों में से किसी एक गुट के साथ संलग्नता अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। इसलिए भारत ने मानव जाति की शान्ति के लिए गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। 2. भारत न तो एक बड़ी शक्ति था और न बिल्कुल महत्त्वहीन राष्ट्र था। भारत के पास एक महाशक्ति बनने की सम्भावना भी थी, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की वर्तमान आवश्यकताओं और उसकी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। 3. भारत ने भावात्मक और वैचारिक कारणों से भी किसी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय किया। 4. भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न देश की तरह अपने निर्णय स्वयं स्वतन्त्र रहकर करना चाहता था और भारत किसी के अधीन नहीं रहना

चाहता था। 5. भारत को अपना आर्थिक विकास करना था, अतः भारत के लिए तो लाभदायक यह था कि हमें जहाँ से भी सहायता मिले, उसे स्वीकार करे बशर्ते उसमें कोई कठिन शर्त न हों। 6. देश की आन्तरिक स्थिति भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी थी।[10]

उपर्युक्त कारकों की वजह से भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता का मार्ग चयन करने पर डॉ. रॉजन लिखते हैं, "फिलहाल निकट भविष्य में भारत की वर्तमान नीति और दृष्टिकोण हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वधा उपयुक्त है।"[11]

परन्तु डॉ. वेदप्रकाश वैदिक का मानना है कि "शीतयुद्ध के वातावरण में नवोदित भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का वरण शायद तत्कालीन दृष्टि से उचित रहा हो, किन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को शाश्वत नीति का रूप देना न तर्कसंगत है और न ही यह दृष्टिकोण यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता है।"[12] वास्तव में विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुट निरपेक्षता की परिधि में बांधा नहीं जा सकता। गुट निरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के इर्द–गिर्द घूमती है। "इस दृष्टि से गुटनिरपेक्षता उर्ध्वमूल नीति रही है। ऐसी नीति जिसकी जड़े ऊपर है, नीचे नहीं, अपने देश में नहीं। राष्ट्र–हित उसके केन्द्र में नहीं। उससे राष्ट्र हित हो जाए, यह अलग बात है। उसके केन्द्र में नेतागिरी की भावना रही है। अन्तर्राष्ट्रीय नेतागिरी की इस ललक का आधार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गलत समझ थी।"[13] परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत के लिए सिर्फ नकारात्मक परिणाम दिए हैं अपितु इस नीति के चयन के कारण ही भारत एक समृद्धशाली विकासशील देश बन सका है। भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, विशाल सैनिक शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी का बेताज बादशाह तथा तीसरी दुनिया का अग्रणी नेता बन सका, वह सिर्फ गुटनिरपेक्षता की नीति की ही देन है।

गुट निरपेक्षक आन्दोलन के आधार और वर्तमान में प्रासंगिकता– गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रथम सम्मेलन 1961 (बेलग्रेड) में नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा 25 राष्ट्रों की सदस्यता के साथ निम्न आधार तय किये गये :– 1. वह देश गुटनिरपेक्ष और शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व की विदेश नीति पर स्वतन्त्र आचरण करने वाला हो। 2. वह देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता हो। 3. वह शीतयुद्ध से सम्बन्धित न हो। 4. उसने किसी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय सन्धि न की हो। 5. उस देश की भूमि पर कोई भी विदेशी सैनिक अड्डा न हो। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 25+3 देशों ने शुरु किया था, गुण और संख्या दोनों ही दृष्टि से इसके विकास में कई परिवर्तन आए हैं। इस आन्दोलन की सदस्य संख्या बढ़कर वर्तमान में 118 हो गई है। समय–समय पर इसके शिखर सम्मेलन होते हैं जिसमें विश्व राजनीति के तात्कालिक ज्वलन्त विवादों एवं समस्याओं आदि विषयों पर गहनता से विचार किया जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि आन्दोलन में सभी देश एक समान दृष्टिकोण अपनाये, लेकिन शायद अब यह कार्य कठिन अवश्य हो गया क्योंकि सदस्य संख्या अधिक होने से सहमति बनाना मुश्किल रहती है। 1961 से मार्च 2009 तक 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं क्योंकि सोवियत संघ का अवसान हो गया, नामीबिया स्वतन्त्र हो गया, पूर्वी तिमोर स्वतन्त्र हो गया, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त हो गया। शीतयुद्ध के समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का औचित्य अवश्य कम हुआ, लेकिन गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की माँग के आधार पर निम्नलिखित कारक है जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता को सजीव रखे हुए हैं – 1. नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर माँग हेतु। 2. आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाने हेतु। 3. दक्षिण–दक्षिण संवाद को प्रोत्साहन देने हेतु। 4. एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करने हेतु। 5. विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक संवाद के लिए दबाव बनाने हेतु। 6. अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की अधिशेष पूँजी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में विनियोजित करने का वातावरण बनाने हेतु। 7. नव उपनिवेशवाद रूपी शोषण का विरोध करने हेतु। 8. विकासशील देशों के हित में संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बनाने हेतु। 9. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अवसान हेतु। 10. सुरक्षा परिषद् का लोकतान्त्रिकरण करने हेतु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अति आवश्यकता है। आज इस आन्दोलन की सार्थकता, प्रासंगिकता और महत्त्व बदलती दुनिया और नव–परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है।

सन्दर्भ–

1. फ्रैंकल, जॉसेफ, दि मेकिंग ऑफ फॉरेन पोलिसीज, प . 1
2. ग्रास, फैलिस्क, फॉरेन पोलिसी एनालिसिस, न्यूयॉर्क, 1954, प . 47–48
3. मॉडलनकी, जॉर्ज, ए थ्योरी ऑफ फॉरेन पोलिसीज, लन्दन, 1962, प . 6–7
4. फैडलफोर्ड, एन.जे., और लिंकन, जार्ज, ए., दि डाइनामिक्स ऑफ इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, प . 195
5. रॉडी, सी.सी., इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, न्यूयार्क, 1967, प . 571
6. डॉ. गौतमवीर, महाशक्तियों की विदेश नीतियाँ, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प . 209–220
7. डार, डॉ. गुलाम मोहम्मद, एन. इन्ट्रोडक्शन टू इन्टरनेशनल रिलेशन्स, रजत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प . 321–327
8. नेहरू, जवाहरलाल, भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, प . 239
9. दत्त, वी.पी., इण्डियॉज फॉरेन पोलिसी, प . 1–24
10. रॉजन, एम.एस., गुटनिरपेक्षता : भारत और भविष्य, प . 77
11. द भटव्य, उपर्युक्त, प . 82
12. वैदिक, डॉ. वेदप्रकाश, भारतीय विदेश नीति : नए दिशा संकेत, प . 123
13. द भटव्य, उपर्युक्त, प . 124
14. फड़िया, डॉ. बी.एल., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2008, प . 112–113